APP-A
Crime-I

FORM N0. III

(नियम–26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

मुकेश यादव बनाम प्रा0अधि0 नगर सुधार न्यास अजमेर

किस्म मुकदमा /अपील 90–बी/नं0 838/सन् 2020 जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.03.2020	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शिवशंकर हेडा द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प–1(32) नविवि//1984–पार्ट जयपुर दिनांक 31.12.2018 के द्वारा श्री हेडा के त्याग पत्र को स्वीकार किया जाकर अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के रिक्त पद का कार्यभार अग्रिम आदेशो तक संभागीय आयुक्त, अजमेर को दिया गया था। राज्य सरकार के इन आदेशो की पालना मे संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा दिनांक 02.01.2019 को अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के रिक्त पद का कार्यग्रहण (Assume) किया गया था। न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर मे अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के विरूद्ध दर्ज प्रकरणो मे सुनवाई का क्षेत्राधिकार पीठासीन अधिकारी के नाते संभागीय आयुक्त, अजमेर को होने से तथा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के साथ–साथ संभागीय आयुक्त अजमेर के पास अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के अध्यक्ष का कार्यभार होने के कारण, ऐसी स्थिति मे अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के विरूद्ध दायर प्रकरणो मे सुनवाई किए जाने/नही किए जाने /अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने बाबत प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार से संभागीय आयुक्त कार्यालय के पत्रांक 1176 दिनांक 31.01.2019 के द्वारा मार्ग दर्शन चाहा गया था। राजस्व विभाग के पत्रांक प–2 (8) राज–1 / 2009 दिनांक 22.05.2019 (प्राप्ति दिनांक 27.06.2019) से प्राप्त मार्ग दर्शन एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर में विचाराधीन ऐसे सभी प्रकरण जो अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के विरूद्ध दायर हुए हैं, संभागीय आयुक्त अजमेर के आदेश कमांक 132 दिनांक 24.7.19 के द्वारा जिला कलक्टर अजमेर को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने के आदेश पारित किये गये थें। यह आदेश आगामी आदेशों तक अथवा अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर का कार्यभार संभागीय आयुक्त अजमेर के पास रहने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये प्रभावी होगें । अतः आदेश कमाक 132 दिनांक 24.7.2019 के अनुसरण में यह प्रकरण आगामी सुनवाई हेतु जिला कलक्टर अजमेर को स्थानान्तरित किया जाता है। अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 15.06.2020 को जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष पेश हो। अधिवक्ता अपीलन्ट सूचित हो। संभागीय आयुक्त, अजमेर	

Scanned with CamScanner